न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 41/2016/अपील/एल.आर.एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 29.6.2016
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. लाडबाई पत्नी स्व0 किशनबिहारी कासट जाति महाजन निवासी अमरकटला बूंदी तहसील बूंदी जिला बूंदी।
2. सत्यप्रकाश
3. राकेश कुमार
   पिसरान स्व0 किशनबिहारी कासट जाति महाजन निवासी अमरकटला बूंदी तह0 बूंदी जिला बूंदी।
4. गणेश कंवर पत्नी देवराज कासट जाति महाजन निवासी स्वीटहोम कालोनी कुम्भनगर छत्रपुरा बूंदी।
5. मधु कासट आ0 देवराज कासट जाति महाजन निवासी स्वीटहोम कॉलोनी कुम्भनगर छत्रपुरा बूंदी।

... अपीलार्थी

बनाम

1. हेमराज
2. जगदीश
3. राजेश
   पिसरान स्व0 बजरंगलाल जाति खाती निवासी बडा मंदिर के पास छत्रपुरा बूंदी।
4. कन्याबाई विधवा पत्नी स्व0 बजरंगलाल जाति खाती निवासी बडा मंदिरन के पास छत्रपुरा बूंदी।
5. देवीलाल आ0 गोपाल जाति खाती निवासी राजस्थान संस्कृत विघालय के पास छत्रपुरा बूंदी तह0 व जिला बूंदी।
6. रमेश कुमार आ0 स्व0 रामकल्याण कासट जाति महाजन निवासी 72 न्यू कालोनी बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
7. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाष कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री गिरधर गोपाल शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 5.4.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मिसल संख्या 10/अपील/2014 अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान लाडबाई वगेरा बनाम बजरंगलाल (मृतक) जरिये कायम मुकाम–हेमराज वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015(संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलांट ने तहसीलदार बूंदी द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 9.12.1972 ग्राम छत्रपुरा जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 29.11.1941 के आधार पर मोहनलाल, फूंदीलाल व गोपाल

के पक्ष मे तस्दीक किया गया से अप्रसन्न होकर प्रथम अपीलीय न्यायालय मे अपील इस आशय की पेश की गई कि मौजा छत्रपुरा बूदी के खाता संख्या 127 मे कृषि भूमि ख0 सं0 517/2 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा ख0 सं0 561 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ख0 सं0 562 रकबा 4 बिस्वा भूमि भाउलाल उर्फ भंवरलाल वल्द मगनलाल महेश्वरी जाति महाजन के खाते दर्ज थी उक्त भूमि के वर्तमान खसरा सं0 766 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा 767 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, 769 रकबा 4 बिस्वा एवं 770 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल मि 4 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है। भाउलाल का 1970 मे स्वर्गवास हो गया पुत्र रामकल्याण एवं देवराज का भी स्वर्गवास हो गया अपीलांट उनके उत्तराधिकारी है। भाउलाल द्वारा उक्त भूमि को मोहनलाल वल्द बालाबक्ष खाती छत्रपुरा से आधोली जुवारा एवं रहन की शर्तो पर पृथक 2 समय से काश्त करवाई जाती थी। रेस्पो0 के पिता व पति बजरंगलाल एंव देवीलाल ने गत 2 वर्षो से उक्त कृषि भूमि के उपज का लाभ अपीलांट को नही देकर टालमटोल किये जाने पर शंका होने पर राजस्व रेकार्ड की तलाश करने पर उक्त नामा0 की जानकारी होने पर अपील पेश कर नामा0 निरस्त करने का अनुरोध किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील 42 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत करने तथा विलम्ब का कारण स्पष्ट एवं प्रमाणित नही होने से देरी को कन्डोन किया जाना उचित होने के कारण अपील का गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील मियाद बाहर पेश होने से निर्णय दिनांक 17.11.2015 से खारिज की है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि नामान्तरकरण मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियो को सुनवाई का अवसर दिये व भूमि के कब्जे की जांच किये बिना तस्दीक किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है क्योंकि मृतक व्यक्तियो के पक्ष मे कानून नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता। तथाकथित विक्रय पत्र 1941 है बताया गया उक्त नामा0 उसके 31 वर्ष बाद तस्दीक किया गया जो सर्वथा गैरकानूनी प्रभावशून्य गलत एवं नालिटी होने से निरस्त होने योग्य है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी करने पर खातेदार द्वारा मोहनलाल, फूदीलाल व गोपाल खाती के पक्ष मे विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत कराया जाना नही पाया गया। जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की गई थी उक्त नामा0 अवैध व प्रभावशून्य है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिये था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही कर अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं नामा0 सं0 407 दिनांक 9.12.1972 निरस्त किया जावे तथा उपरोक्त भूमि मृतक भाउलाल उर्फ भंवरलाल के वारिसान अपीलांट के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण सं0 407 दिनांक 9.12.1972 मृतक खातेदार के उत्तराधिकारियो को सुनवाई का अवसर दिये व भूमि के कब्जे की जांच किये बिना तस्दीक किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है क्योंकि मृतक व्यक्तियो के पक्ष मे कानून नामान्तरकरण तस्दीक नही किया जा सकता। अपीलांट मृतक खातेदार के उत्तराधिकारी है। तथाकथित विक्रय पत्र 1941 है बताया गया उक्त नामा0 उसके 31 वर्ष बाद तस्दीक किया गया जो सर्वथा गैरकानूनी प्रभावशून्य गलत एवं नालिटी होने से निरस्त होने योग्य है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी करने पर खातेदार द्वारा मोहनलाल, फूदीलाल व गोपाल खाती के पक्ष मे विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत कराया जाना नही पाया गया। बहस मे आगे बताया कि लम्बे समय पर इंतकाल तस्दीक किया गया जाना गलत है केवल रेगूलर वाद के माध्यम से ही हक हकूक तय किये जा सकते है। जानकारी की तिथी से अपील अवधि मध्य पेश की गई थी ऐसी स्थिति मे डिले कन्डोन कर अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर किये बिना अपील को मियाद के बिन्दू पर पर खारिज करने मे त्रुटि की है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1984 पेज 45 आरआरडी 1998 पेज 319, आरआरडी 1992 पेज 17 आरआरडी 1996 पेज 457,आरआरडी 1992 पेज 117आरआरडी 1982 पेज 332 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा 42 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से जेरअपील निर्णय से खारिज की है। अतः अपीलांट द्वारा लिमिटेशन के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील मेन्टेनऐबल नही है। नामा0 विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है अतः विक्रय पत्र जब तक निरस्त नही हो जाता नामा0 निरस्त नही किया जा सकता। विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति रिकार्ड मे उपलब्ध है। विवादित आराजी रेस्पो0 के खाते दर्ज होकर उनका भूमि पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है इस प्रकार 1972 मे खोले गये इन्तकाल की अपील प्रथम दृष्टया निष्फल हो जाती है। अपने कथन के समर्थन मे आरआरडी 1963पेज 47, आरआरडी 1971 पेज 187, आरआरडी 1971 पेज 266, आरबीजे (7) 2000 पेज 70, आरआरडी–14–3–2013 पेज 189, आरआरडी 1970 पेज 543, आरआरडी 1976 पेज 10 का न्यायिक उद्धरण पेश करने हेतु उक्त न्यायिक नजीरो के आलोक मे अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक, अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट पर मनन किया तथा प्रश्नगत प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरो पर गौर किया। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी के तत्कालीन खातेदार द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 29.11.1941 के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 407 दिनांक 9.12.1972 को प्रथम अपीलीय न्यायालय मे दिनांक 2.1.2014 को अपील प्रस्तुत कर चुनौती देकर नामान्तरकरण निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा मियाद के बिन्दू पर वर्णित किया गया कि बजरंगलाल एवं देवीलाल ने गत 2 वर्षो से उक्त वर्णित कृषि भूमि के उपज का लाभ अपीलांट को नही दिये जाने पर राजस्व रिकार्ड की जानकारी प्राप्त करने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील 42 वर्ष बाद काफी विलम्ब से प्रस्तुत की जाने तथा अपील पेश करने मे हुआ विलम्ब स्पष्ट एवं प्रमाणित नही हाने से विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाना उचित नही होना मानते हुये अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार कर अपील मियाद बाहर होने से जेरअपील निर्णय 17.11.2015 से खारिज की है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य/आधार अभिलेख पेश नही किये है जो 42 वर्ष की देरी को कन्डोन किये जाने का पर्याप्त, न्यायोचित आधार माना जा सके। अतः समुचित आधार अभिलेख एवं युक्तियुक्त कारण के अभाव मे प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। लिहाजा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने मे किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रकट नही होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

6 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 5.4.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा